न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 10/19 दायरा दिनांक 01.04.2019

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. दानवीरसिंह पुत्र लीलासिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
2. मेघपालसिंह पुत्र लीलासिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
3. मुकेशसिंह पुत्र लीलासिंह उम्र 49 वर्ष जाति राजपूत निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
4. नरेशसिंह पुत्र लीलासिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
5. दिनेशसिंह पुत्र लीलासिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. बुद्वाराम पुत्र घसीटा जाति किराड निवासी सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. बिहारीलाल पुत्र घसीटा जाति किराड निवासी सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. प्रकाशचन्द्र पुत्र घसीटा जाति किराड निवासी सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. अमरसिंह पुत्र घसीटा जाति किराड निवासी सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहावाद जिला बांरा राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक – 04.04.2024

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 की ओर से – एकपक्षीय

अप्रार्थी कम 5 की ओर से – पेरोकार सरकार

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नम्बर 2740/884 श. न. 884/1159/2 रकबा 3.10 बीघा स्थित है, जिसे वादपत्र में [illegible] सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी प्रतिवादी कम [illegible] 4 के पिता घसीटा पुत्र मोती जाति किराड निवासी सहरोल तलहटी [illegible] की थी, जिसे उन्होने वादीगण के पिता लीलासिंह [illegible] राजपूत, निवासी सह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

तलहटी को दिनांक 16.08.99 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया और कब्जा प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 20.12.99 वादीगण के पिता के हक में तस्दीक कर जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया। चौसाला जमाबंदी बनाते समय पटवारी हल्का को वादीगण के पिता द्वारा क्रय विवादित खसरा नंबर 884/1159 रकबा 3.10 बीघा का नया खाता कायम करना चाहिये था, परन्तु उन्होने ऐसा न कर वादीगण के पिता का नाम छोड दिया और सम्पूर्ण खाता वादीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिया, इस तरह वादीगण के पिता द्वारा क्रयशुदा आराजी का अशुद्ध अंकन हो रहा है। वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है, जिनके वादीगण वारिस हैं तथा घसीटा पुत्र मोती का भी देहान्त हो जाने से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 वारिस हैं। इस तरह वादीगण विवादित आराजी पर अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने के हकदार हैं, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। जबावदावा पेश नहीं होने से प्रकरण में सीधे ही वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डबलू 1 वादी मुकेशसिंह के बयान दर्ज कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी ग्राम सहरोल तलेटी संवत 2072–75 प्रदर्श 1, नकल नामान्तरण नंबर 668 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी ग्राम सहरोल तलेटी संवत 2056–59 प्रदर्श 3, 6(1) प्रदर्श 4, रहन मुक्ति प्रार्थनापत्र प्रदर्श 5, दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांक 16.08.99 प्रदर्श 6 तथा मृत्यु प्रमाणपत्र लीलासिंह प्रदर्श 7 पेश की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 7 विक्रयपत्र के जरिये वादीगण के पिता लीलासिंह ने ग्राम सहरोल तलेटी तहसील शाहाबाद स्थित आराजी खसरा संख्या 884/1159 रकबा 3.10 बीघा को ततकालीन खातेदार घसीटा पुत्र मोती से क्रय किया जाना प्रमाणित होता है, इस विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण नंबर 668 लीलासिंह के हक में तस्दीक कर अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2056–59 प्रदर्श 3 में किया जा चुका था। इसके बावजूद विवादित आराजी को पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विवादित आराजी को वादीगण के पिता लीलासिंह द्वारा दिनांक 16.08.99 को रजिस्टर्ड क्रय किया जाना तथा रिकार्ड में अमल होना प्रस्तुत रिकार्ड से भलिभांति प्रमाणित है, चूंकि लीलासिंह की मृत्यु होना मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श 7 से प्रमाणित है, जिसके वादीगण वारिसान होने से विवादित भूमि के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः उक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित खसरा नंबर 2740/884 श. न. 884/1159/2 रकबा 3.10 बीघा ग्राम सहरोल तलेटी तहसील शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज

CamScanner

का खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04.04.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:41 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner